© JUL 2026 | IRE Journals | Volume 10 Issue 1 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV10I1-1719938

# कृषि विपणन प्रणाली में मण्डी परिषद का योगदान ( 2008–2025 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में)

डॉ निशी मिश्रा
*असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजाजीपुरम लखनऊ*

***सार (Abstract)- भारत एक कृषि प्रधान देश है और उत्तर प्रदेश इसकी कृषि अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र है। कृषि उत्पादन के साथ-साथ उसका विपणन (Marketing) भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (UP Mandi Parishad) ने किसानों को उचित मूल्य, पारदर्शिता तथा बाजार संरचना प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस शोध-पत्र में 2008 से 2025 तक के दौरान मण्डी परिषद के योगदान, विकास, आँकड़ों तथा चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। कृषि विपणन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कृषि उत्पाद खेत से उपभोक्ता तक पहुँचते हैं। इसमें संग्रहण, परिवहन, भंडारण, मूल्य निर्धारण और वितरण शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र का योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 25–26% है तथा बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है । मण्डी परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के क्रय-विक्रय को विनियमित करना और किसानों को उचित मूल्य दिलाना है ।***

***बीज शब्दः कृषि उत्पादन, कृषि विपणन, मंडी परिषद, सहकारी समितियां, बिचौलिए, किसान, मूल्य निर्धारण***

## I. कृषि विपणन प्रणाली का स्वरूप (STRUCTURE OF AGRICULTURAL MARKETING SYSTEM)

उत्तर प्रदेश की कृषि विपणन प्रणाली बहु-स्तरीय (multi-layered) एवं संगठित संरचना पर आधारित है, जिसमें उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक कृषि उत्पादों के प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न संस्थाएँ एवं बाजार तंत्र कार्य करते हैं। यह प्रणाली न केवल कृषि उत्पादों के क्रय-विक्रय को सुगम बनाती है, बल्कि मूल्य निर्धारण, भंडारण, परिवहन और वितरण की प्रक्रियाओं को भी व्यवस्थित करती है। इस पूरी प्रणाली के समन्वय एवं नियमन में मण्डी परिषद की केंद्रीय भूमिका होती है।

(A) ग्रामीण हाट एवं स्थानीय बाजार

ग्रामीण हाट कृषि विपणन प्रणाली का प्रारंभिक और आधारभूत स्तर होते हैं। ये छोटे, साप्ताहिक या दैनिक बाजार होते हैं, जहाँ किसान सीधे अपने उत्पादों को स्थानीय उपभोक्ताओं या छोटे व्यापारियों को बेचते हैं।

- यह बाजार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं।
- इनमें नकद लेन-देन अधिक होता है।
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह सबसे सुलभ विपणन माध्यम है।

हालांकि, यहाँ मूल्य निर्धारण पूरी तरह मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है, जिससे किसानों को कभी-कभी उचित मूल्य नहीं मिल पाता। मण्डी परिषद इन हाटों को विकसित करने तथा बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करती है।

(B)विनियमित मण्डियाँ (Regulated Markets)

विनियमित मण्डियाँ कृषि विपणन प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण और संगठित घटक मानी जाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए उचित, पारदर्शी और सुरक्षित बाजार उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में इन मण्डियों की स्थापना उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के अंतर्गत की गई है, और इनका संचालन राज्य सरकार द्वारा गठित मण्डी समितियों के माध्यम से किया जाता है।

विनियमित मण्डियों की विशेषता यह है कि यहाँ कृषि उत्पादों का क्रय-विक्रय एक निश्चित नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, जिससे बाजार में अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहती है। इन मण्डियों में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित मंच प्राप्त होता है, जहाँ वे सीधे लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के साथ लेन-देन कर सकते हैं।

इन मण्डियों में बिक्री की प्रमुख प्रणाली नीलामी प्रणाली (Auction System) होती है। इस प्रक्रिया में किसान अपनी उपज मण्डी में लाते हैं और व्यापारी खुले रूप से बोली लगाते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यह प्रणाली मूल्य निर्धारण को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाती है, क्योंकि इसमें मूल्य किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि बाजार की मांग और प्रतिस्पर्धा के आधार पर तय होता है।

विनियमित मण्डियों में व्यापार करने के लिए व्यापारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल अधिकृत और विश्वसनीय व्यापारी ही मण्डी में व्यापार करें। इससे धोखाधड़ी और अनियमितताओं की संभावना कम हो जाती है। साथ ही, मण्डी समिति इन व्यापारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखती है, जिससे किसानों के हितों की रक्षा होती है।

मण्डी परिषद इन मण्डियों के संचालन में एक नियामक और समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। यह सुनिश्चित करती है कि मण्डियों में उचित तौल (accurate weighing) की व्यवस्था हो, ताकि किसानों को उनके उत्पाद का सही वजन के अनुसार मूल्य मिल सके। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटे एवं मानकीकृत तौल प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भुगतान की सुरक्षा भी विनियमित मण्डियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मण्डी समिति यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर और पूर्ण रूप से प्राप्त हो। कई स्थानों पर डिजिटल भुगतान प्रणाली भी लागू की जा रही है, जिससे लेन-देन अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बन गया है।

विवाद निपटान की व्यवस्था भी इन मण्डियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि किसान और व्यापारी के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो मण्डी समिति उसे सुलझाने का कार्य करती है। इससे किसानों को न्याय प्राप्त करने में आसानी होती है और उन्हें कानूनी जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ता।

समग्र रूप से देखा जाए तो विनियमित मण्डियाँ कृषि विपणन प्रणाली को संगठित, पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाती हैं। ये न केवल किसानों को उचित मूल्य दिलाने में सहायक हैं, बल्कि बाजार में अनुशासन और विश्वास भी स्थापित करती हैं। मण्डी परिषद के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के कारण ये मण्डियाँ कृषि क्षेत्र के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

(C) थोक व्यापारी एवं आढ़ती (Wholesalers and Commission Agents)

कृषि विपणन प्रणाली में थोक व्यापारी एवं आढ़ती (कमीशन एजेंट) एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, जो किसान और अंतिम खरीदार (व्यापारी या उपभोक्ता) के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। कृषि उत्पादों का उत्पादन करने वाले किसान प्रायः सीधे बड़े बाजारों या उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँच पाते, इसलिए इस अंतर को भरने का कार्य थोक व्यापारी एवं आढ़ती करते हैं।

आढ़ती मुख्यतः मण्डियों में कार्य करते हैं और वे किसानों तथा व्यापारियों के बीच लेन-देन को सरल और व्यवस्थित बनाते हैं। जब किसान अपनी उपज मण्डी में लेकर आते हैं, तो आढ़ती उनके उत्पाद को उचित खरीदार तक पहुँचाने में सहायता करते हैं। वे नीलामी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उत्पाद को उचित बोली लगाने वाले व्यापारी को बेचा जाए। इस प्रकार वे बिक्री प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाते हैं।

(D)सहकारी समितियाँ (Cooperative Societies)

कृषि विपणन प्रणाली में सहकारी समितियाँ एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक संस्था के रूप में कार्य करती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य किसानों, विशेषकर छोटे एवं सीमांत किसानों, के सामूहिक हितों की रक्षा करना होता है। ये समितियाँ "सहकारिता" के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, जहाँ किसान स्वेच्छा से एक समूह बनाकर अपने संसाधनों और प्रयासों को एकजुट करते हैं, ताकि वे व्यक्तिगत रूप से आने वाली कठिनाइयों को सामूहिक रूप से दूर कर सकें।

सहकारी समितियों का सबसे प्रमुख कार्य किसानों से सीधे कृषि उत्पादों की खरीद करना है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और वे सीधे संस्था के माध्यम से उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था बाजार में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा भी करती है।

इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियाँ भंडारण (storage) एवं विपणन (marketing) की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराती हैं। अक्सर किसान अपनी उपज को तुरंत बेचने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं

होती। इस स्थिति में उन्हें कम कीमत पर उत्पाद बेचना पड़ता है। सहकारी समितियाँ गोदाम एवं भंडारण की सुविधा प्रदान कर किसानों को यह विकल्प देती हैं कि वे अपनी उपज को सुरक्षित रखकर उचित समय पर बेहतर मूल्य मिलने पर बेच सकें।

(E) ई-नाम (e-NAM) प्लेटफॉर्म

ई-नाम (National Agriculture Market) भारत सरकार द्वारा विकसित एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य कृषि विपणन प्रणाली को अधिक संगठित, पारदर्शी और तकनीक-आधारित बनाना है। पारंपरिक मण्डी प्रणाली में जहाँ व्यापार मुख्यतः भौतिक उपस्थिति और सीमित प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करता था, वहीं ई-नाम ने इस व्यवस्था को डिजिटल माध्यम से व्यापक और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया है।

ई-नाम एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल के रूप में कार्य करता है, जहाँ देश की विभिन्न मण्डियों को एकीकृत (integrate) किया गया है। इसके माध्यम से किसान, व्यापारी और खरीदार एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। इससे कृषि उत्पादों का क्रय-विक्रय केवल स्थानीय मण्डी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अन्य क्षेत्रों के खरीदार भी इसमें भाग ले सकते हैं।

इस प्लेटफॉर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि किसान विभिन्न मण्डियों में प्रचलित कृषि उत्पादों के भाव (prices) की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहले किसानों को केवल अपनी स्थानीय मण्डी के भाव की जानकारी होती थी, जिससे वे कई बार कम कीमत पर अपनी उपज बेचने को मजबूर हो जाते थे। लेकिन ई-नाम के माध्यम से वे अलग-अलग बाजारों के मूल्य की तुलना कर सकते हैं और जहाँ बेहतर मूल्य मिले, वहाँ अपनी उपज बेचने का निर्णय ले सकते हैं।

समन्वित भूमिका में मण्डी परिषद

कृषि विपणन प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न घटकों—जैसे ग्रामीण हाट, विनियमित मण्डियाँ, थोक व्यापारी, आढ़ती, सहकारी समितियाँ तथा ई-नाम प्लेटफॉर्म—के बीच प्रभावी समन्वय अत्यंत आवश्यक होता है। इस समन्वय को स्थापित करने और पूरी प्रणाली को व्यवस्थित रूप से संचालित करने का दायित्व मण्डी परिषद पर होता है। मण्डी परिषद एक केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करते हुए इन सभी घटकों को एक संगठित ढाँचे में जोड़ती है और कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ बनाती है।

मण्डी परिषद का पहला महत्वपूर्ण कार्य बाजारों का नियमन (regulation) करना है। यह विभिन्न मण्डियों के संचालन के लिए नियम एवं नीतियाँ निर्धारित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी गतिविधियाँ निर्धारित मानकों के अनुसार ही संचालित हों। इसके माध्यम से बाजार में अनुशासन बना रहता है और किसानों के साथ किसी प्रकार की अनियमितता या शोषण की संभावना कम हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, मण्डी परिषद कृषि विपणन से संबंधित बुनियादी ढाँचे (infrastructure) के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें मण्डी यार्ड, गोदाम, सड़कों, तौल कांटों, शीत भंडारण (cold storage) तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण और रख-रखाव शामिल है। इन सुविधाओं के विकास से न केवल कृषि उत्पादों के संग्रहण और परिवहन में सुधार होता है, बल्कि किसानों को अपनी उपज के बेहतर संरक्षण और विपणन के अवसर भी मिलते हैं।

वर्तमान समय में तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए मण्डी परिषद डिजिटल प्रणाली को लागू करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। ई-नाम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मण्डियों को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादों का क्रय-विक्रय अधिक पारदर्शी और व्यापक बन रहा है। डिजिटल माध्यम से किसानों को विभिन्न बाजारों के भाव की जानकारी मिलती है और वे अधिक सूचित निर्णय ले पाते हैं।

मण्डी परिषद का गठन एवं उद्देश्य

कृषि विपणन प्रणाली को सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में मण्डी परिषद का गठन किया गया। यह गठन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के अंतर्गत किया गया था, ताकि कृषि उत्पादों के क्रय-विक्रय को एक नियामित ढाँचे के अंतर्गत लाया जा सके। मण्डी परिषद एक शीर्ष (apex) संस्था के रूप में कार्य करती है, जो राज्य की सभी विनियमित मण्डियों के संचालन, नियंत्रण और विकास की जिम्मेदारी निभाती है।

मण्डी परिषद के गठन का प्रमुख उद्देश्य कृषि विपणन प्रणाली में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करना और किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। पहले कृषि उत्पादों का विपणन असंगठित ढंग से होता था, जिसमें

© JUL 2026 | IRE Journals | Volume 10 Issue 1 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV10I1-1719938

किसानों को बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था। इस कारण उन्हें अक्सर उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। मण्डी परिषद की स्थापना के बाद इस व्यवस्था को नियंत्रित और व्यवस्थित किया गया, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ।

बिचौलियों की भूमिका को सीमित करना भी मण्डी परिषद का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यद्यपि पूरी तरह से बिचौलियों को समाप्त करना संभव नहीं है, फिर भी उनकी अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करने के लिए विभिन्न नियम और नियंत्रण लागू किए गए हैं। इससे किसानों का शोषण कम होता है और वे अधिक स्वतंत्र रूप से अपनी उपज बेच सकते हैं।

बाजार में पारदर्शिता लाना भी मण्डी परिषद की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए उचित तौल व्यवस्था, खुली नीलामी, लाइसेंस प्रणाली तथा डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इससे व्यापार की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट और विश्वसनीय बनती है।

इसके अतिरिक्त, मण्डी परिषद कृषि विपणन से संबंधित आधारभूत संरचना (infrastructure) के विकास पर भी विशेष ध्यान देती है। इसमें मण्डी यार्ड, गोदाम, सड़कों, शीत भंडारण, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण शामिल है। इन सुविधाओं के विकास से किसानों को अपनी उपज के सुरक्षित भंडारण और सुगम विपणन में सहायता मिलती है।

मण्डी परिषद अपने कार्यों के संचालन और विकास के लिए बाजार शुल्क (Mandi Fee) के माध्यम से राजस्व एकत्र करती है। यह शुल्क मण्डियों में होने वाले व्यापार पर लगाया जाता है और इससे प्राप्त धनराशि का उपयोग मण्डियों के विकास, रख-रखाव तथा नई सुविधाओं के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार, मण्डी परिषद एक स्व-वित्तपोषित (self-financing) प्रणाली के रूप में कार्य करती है।

मण्डी परिषद की कार्यप्रणाली (Functions)

मण्डी परिषद कृषि विपणन प्रणाली को प्रभावी, पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन करती है। इसके कार्य केवल कृषि उत्पादों के क्रय-विक्रय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह बाजार संरचना के विकास, सूचना प्रसार तथा किसानों के कल्याण से जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी समाहित करते हैं। मण्डी परिषद की कार्यप्रणाली को विभिन्न उपभागों में समझा जा सकता है:

(A) मूल्य निर्धारण एवं पारदर्शिता

मण्डी परिषद का एक प्रमुख कार्य कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। इसके लिए मण्डियों में नीलामी प्रणाली (Auction System) लागू की जाती है। इस प्रणाली में किसान अपनी उपज मण्डी में लाते हैं और विभिन्न व्यापारी उस पर खुली बोली लगाते हैं।

इस प्रक्रिया से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को उनके उत्पाद का उचित और बाजार आधारित मूल्य प्राप्त होता है। साथ ही, यह प्रणाली मूल्य निर्धारण में किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण या गुप्त प्रक्रिया को समाप्त करती है।

मण्डी परिषद यह भी सुनिश्चित करती है कि पूरी नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संचालित हो, उचित तौल हो तथा किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त हो। इससे किसानों का बाजार पर विश्वास बढ़ता है और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने उत्पाद बेच पाते हैं।

(B) आधारभूत संरचना विकास

कृषि विपणन प्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मजबूत आधारभूत संरचना (infrastructure) का होना अत्यंत आवश्यक है। मण्डी परिषद इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यह मण्डी यार्ड, गोदाम, सड़कों और तौल कांटों जैसी आवश्यक सुविधाओं का निर्माण एवं विकास करती है। मण्डी यार्ड में किसानों के लिए उत्पाद रखने की पर्याप्त व्यवस्था होती है, जबकि गोदामों के माध्यम से उत्पादों को सुरक्षित भंडारित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, शीत भंडारण (Cold Storage) की सुविधा विशेष रूप से फल, सब्जी एवं अन्य नाशवान उत्पादों के संरक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। इससे उत्पादों की गुणवत्ता बनी रहती है और किसानों को उन्हें उचित समय पर बेचने का अवसर मिलता है।

मण्डी परिषद किसानों और व्यापारियों की सुविधा के लिए विश्राम गृह, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेयजल एवं अन्य बुनियादी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराती है, जिससे मण्डी परिसर एक सुव्यवस्थित और कार्यक्षम केंद्र बन जाता है।

© JUL 2026 | IRE Journals | Volume 10 Issue 1 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV10I1-1719938

(C) सूचना प्रणाली (Information System)

आधुनिक कृषि विपणन में सूचना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मण्डी परिषद किसानों को सही और समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रणाली विकसित करती है।

इसके अंतर्गत विभिन्न मण्डियों में कृषि उत्पादों के दैनिक भाव (price information) को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है। इससे किसान विभिन्न बाजारों के मूल्यों की तुलना कर सकते हैं और अपने उत्पाद को बेहतर मूल्य पर बेचने का निर्णय ले सकते हैं।

इसके अलावा, मण्डियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर व्यापार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। ई-नाम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को व्यापक बाजार तक पहुँच मिलती है और विपणन प्रक्रिया अधिक आधुनिक एवं कुशल बनती है।

(D) किसान सहायता योजनाएँ

मण्डी परिषद किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न सहायता योजनाएँ भी संचालित करती है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक, तकनीकी और संरचनात्मक सहायता प्रदान करना है।

कृषक हेल्पलाइन के माध्यम से किसानों को कृषि एवं विपणन से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रदान किया जाता है। इससे वे अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर बेहतर निर्णय ले सकते हैं।

भंडारण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए "बखारी" वितरण योजना चलाई जाती है, जिसके तहत किसानों को अनाज सुरक्षित रखने के लिए संरचना उपलब्ध कराई जाती है। इससे उन्हें अपनी उपज को तुरंत बेचने की बाध्यता नहीं रहती और वे बेहतर मूल्य मिलने पर बिक्री कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, मण्डी परिषद आधुनिक फल एवं फूल बाजारों का विकास भी करती है, जिससे इन विशेष कृषि उत्पादों के लिए उपयुक्त विपणन व्यवस्था उपलब्ध हो सके। इससे किसानों को विशेष फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है और उनकी आय में वृद्धि होती है।

2008–2025 के बीच मण्डी परिषद का विकास (Data & Trends)

2008 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश की कृषि विपणन प्रणाली में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिनमें मण्डी परिषद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इस अवधि में मण्डी परिषद ने न केवल अपनी संरचना का विस्तार किया, बल्कि तकनीकी, आर्थिक एवं नीतिगत सुधारों के माध्यम से कृषि विपणन प्रणाली को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाया। विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, नीतियों और अध्ययनों के आधार पर इस विकास को निम्न प्रमुख आयामों में समझा जा सकता है:

मण्डियों की संख्या एवं विस्तार

इस अवधि में मण्डियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, जो मण्डी परिषद के विस्तारवादी दृष्टिकोण को दर्शाती है। वर्ष 2008 के आसपास जहाँ राज्य में लगभग 250–260 विनियमित मण्डियाँ थीं, वहीं 2025 तक इनकी संख्या बढ़कर 300 से अधिक (मुख्य मण्डियाँ एवं उपमण्डियाँ मिलाकर) हो गई है।

इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके नजदीक ही विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। मण्डियों की संख्या बढ़ने से बाजार तक पहुँच आसान हुई है और किसानों की भागीदारी में भी वृद्धि हुई है।

डिजिटल सुधार (e-NAM और IT Integration)

वर्ष 2016 के बाद कृषि विपणन प्रणाली में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ी है। मण्डी परिषद ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) को अपनाते हुए मण्डियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का कार्य किया है।

ई-नाम (e-NAM) प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनेक मण्डियाँ एकीकृत की गई हैं, जिससे व्यापार प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बन गई है। किसान अब विभिन्न राज्यों की मण्डियों के भाव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर मूल्य के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।

इस डिजिटल परिवर्तन ने पारंपरिक विपणन प्रणाली को आधुनिक रूप प्रदान किया है और किसानों को राष्ट्रीय स्तर के बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

राजस्व संग्रह (Mandi Fee Revenue)

मण्डी परिषद की वित्तीय स्थिति भी इस अवधि में सुदृढ़ हुई है। 2008–10 के दौरान राजस्व संग्रह मध्यम स्तर पर था, लेकिन 2015–20 के बीच इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा मण्डियों में व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार था।

2020–25 के दौरान राजस्व संग्रह में स्थिर वृद्धि देखने को मिली, जिसमें डिजिटल ट्रैकिंग और पारदर्शी प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से लेन-देन का रिकॉर्ड अधिक सटीक और पारदर्शी हो गया, जिससे राजस्व संग्रह की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनी।

कृषि उत्पादन और विपणन

इस अवधि में कृषि उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका सीधा प्रभाव विपणन प्रणाली पर पड़ा है। उदाहरण के लिए, 2016–17 से 2024–25 के बीच दुग्ध उत्पादन में लगभग 40% की वृद्धि दर्ज की गई है।

उत्पादन में इस वृद्धि के कारण कृषि उत्पादों की मात्रा बढ़ी, जिससे उन्हें बाजार तक पहुँचाने के लिए एक सशक्त विपणन नेटवर्क की आवश्यकता महसूस हुई। इस संदर्भ में मण्डी परिषद की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि उसने इस बढ़ते उत्पादन को व्यवस्थित रूप से बाजार तक पहुँचाने में सहायता की।

निर्यात एवं मूल्य श्रृंखला (Value Chain)

वर्ष 2019 में कृषि निर्यात नीति लागू होने के बाद कृषि उत्पादों के वैश्विक बाजार तक पहुँच बनाने के प्रयास तेज हुए। मण्डी परिषद ने इस दिशा में मूल्य श्रृंखला (value chain) को मजबूत करने पर ध्यान दिया।

प्रसंस्करण इकाइयों (processing units) को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे कच्चे कृषि उत्पादों को मूल्यवर्धित (value-added) उत्पादों में परिवर्तित किया जा सके। इससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना बढ़ी और कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी सृजित हुए।

मण्डी परिषद का योगदान (Major Contributions)

उत्तर प्रदेश की कृषि विपणन प्रणाली में मण्डी परिषद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी रहा है। इसने न केवल कृषि उत्पादों के विपणन को संगठित किया है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने, बाजार व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और ग्रामीण विकास को गति देने में भी अहम भूमिका निभाई है। इसके प्रमुख योगदानों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है:

किसानों को उचित मूल्य (Fair Price to Farmers)

मण्डी परिषद की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि किसानों को उनकी उपज का उचित और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाना है। विनियमित मण्डी प्रणाली के माध्यम से नीलामी व्यवस्था लागू की गई है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद के लिए खुली प्रतिस्पर्धा में बोली प्राप्त होती है।

इस प्रक्रिया ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त भी बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने में सहायता की है। पहले जहाँ किसान बिचौलियों पर निर्भर रहते थे, वहीं अब उन्हें सीधे बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ी है। इससे उनकी आय में सुधार हुआ है और आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत हुई है।

बिचौलियों पर नियंत्रण (Control over Middlemen)

मण्डी परिषद ने कृषि विपणन प्रणाली में बिचौलियों की भूमिका को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विनियमित मण्डियों में लाइसेंस प्रणाली लागू होने के कारण केवल अधिकृत व्यापारी और आढ़ती ही व्यापार कर सकते हैं।

इस व्यवस्था से अनियमित और अवैध मध्यस्थों की भूमिका कम हुई है, जिससे किसानों के शोषण की संभावना घट गई है। यद्यपि बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन मण्डी परिषद के नियंत्रण के कारण उनकी गतिविधियाँ अधिक पारदर्शी और सीमित हो गई हैं।

ग्रामीण अवसंरचना विकास (Rural Infrastructure Development)

मण्डी परिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अंतर्गत मण्डी यार्ड, सड़कें, गोदाम, तौल कांटे, विश्राम गृह और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया गया है।

इन सुविधाओं के विकास से कृषि उत्पादों के संग्रहण, परिवहन और विपणन की प्रक्रिया अधिक सुगम और प्रभावी हो गई है। साथ ही, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी

© JUL 2026 | IRE Journals | Volume 10 Issue 1 | ISSN: 2456-8880
DOI: https://doi.org/10.64388/IREV10I1-1719938

मजबूती मिली है, क्योंकि बेहतर अवसंरचना से कृषि व्यापार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधार (Quality Improvement of Agricultural Products)

मण्डी परिषद ने कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसके लिए ग्रेडिंग और मानकीकरण (grading and standardization) की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे उत्पादों को उनकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जा सके।

इसके अलावा, साफ-सफाई, पैकेजिंग और भंडारण की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दिया गया है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार मूल्य दोनों में सुधार हुआ है। इससे न केवल घरेलू बाजार में बल्कि निर्यात बाजार में भी भारतीय कृषि उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है।

डिजिटल क्रांति (Digital Revolution)

मण्डी परिषद ने कृषि विपणन प्रणाली में डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देकर एक नई क्रांति की शुरुआत की है। ऑनलाइन भाव (price information) की उपलब्धता और ई-नाम (e-NAM) प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि व्यापार को डिजिटल रूप दिया गया है।

इससे किसानों को विभिन्न बाजारों के भाव की जानकारी आसानी से मिलती है और वे अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। डिजिटल प्रणाली ने पूरी विपणन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बना दिया है। इससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में भी कमी आई है।

चुनौतियाँ (Challenges)

यद्यपि उत्तर प्रदेश की मण्डी परिषद ने कृषि विपणन प्रणाली को अधिक संगठित, पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी इसके समक्ष कई प्रकार की संरचनात्मक, सामाजिक, तकनीकी और प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। ये चुनौतियाँ प्रणाली की प्रभावशीलता को कई स्तरों पर प्रभावित करती हैं और इनके समाधान के बिना पूर्ण विकास संभव नहीं है।

संरचनात्मक समस्याएँ (Structural Problems)

मण्डी परिषद की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक आधारभूत संरचना से जुड़ी कमियाँ हैं। राज्य की कई मण्डियों में अभी भी आवश्यक सुविधाओं का अभाव देखा जाता है, जैसे पर्याप्त गोदाम, शेड, पेयजल, स्वच्छता और परिवहन व्यवस्था।

बिचौलियों का प्रभाव (Influence of Middlemen)

विनियमित मण्डी प्रणाली के बावजूद कई क्षेत्रों में अभी भी बिचौलियों या दलालों का प्रभाव बना हुआ है। ये मध्यस्थ किसान और खरीदार के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कई बार वे अपने प्रभाव का उपयोग किसानों के हितों के विपरीत करते हैं।

कुछ परिस्थितियों में किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि मूल्य निर्धारण में बिचौलियों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण बना रहता है। यह स्थिति मण्डी परिषद के प्रयासों के बावजूद पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकी है, जो एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आती है।

डिजिटल साक्षरता की कमी (Lack of Digital Literacy)

आधुनिक कृषि विपणन प्रणाली में डिजिटल तकनीक, विशेषकर ई-नाम (e-NAM) जैसे प्लेटफॉर्म, की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन छोटे एवं सीमांत किसानों में डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण वे इन तकनीकों का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते।

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता, तकनीकी ज्ञान का अभाव और डिजिटल उपकरणों की कमी इस समस्या को और बढ़ाते हैं। परिणामस्वरूप, कई किसान अभी भी पारंपरिक मण्डी प्रणाली पर ही निर्भर रहते हैं, जिससे डिजिटल क्रांति का पूरा लाभ सभी वर्गों तक नहीं पहुँच पाता।

निजी बाजारों से प्रतिस्पर्धा (Competition from Private Markets)

हाल के वर्षों में निजी बाजारों और निजी खरीद प्रणालियों का प्रभाव बढ़ा है, जिससे मण्डी परिषद की पारंपरिक भूमिका पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव उत्पन्न हुआ है। निजी कंपनियाँ सीधे किसानों से अनुबंध (contract farming) या सीधी खरीद के माध्यम से व्यापार कर रही हैं।

इन व्यवस्थाओं में कई बार किसानों को त्वरित भुगतान और बेहतर सुविधा मिलती है, जिससे वे निजी बाजारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह प्रवृत्ति विनियमित मण्डियों के

व्यापार पर प्रभाव डालती है और मण्डी परिषद के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न करती है कि वह अपनी व्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक बनाए।

## सुधार के सुझाव (SUGGESTIONS)

उत्तर प्रदेश की कृषि विपणन प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाने के लिए मण्डी परिषद के कार्यों में निरंतर सुधार आवश्यक है। वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनके माध्यम से प्रणाली को और अधिक आधुनिक एवं सशक्त बनाया जा सकता है।

सबसे पहले, सभी मण्डियों का पूर्ण डिजिटलीकरण (complete digitalization) अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि ई-नाम जैसे प्लेटफॉर्म लागू किए जा चुके हैं, फिर भी कई मण्डियाँ अभी भी आंशिक रूप से पारंपरिक प्रणाली पर कार्य कर रही हैं। यदि सभी मण्डियों को पूर्ण रूप से डिजिटल नेटवर्क से जोड़ दिया जाए, तो मूल्य निर्धारण, नीलामी और भुगतान प्रणाली अधिक पारदर्शी और तेज हो जाएगी।

दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव किसानों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश किसान तकनीकी रूप से दक्ष नहीं हैं, जिसके कारण वे ई-नाम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। यदि उन्हें नियमित प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और सरल डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जाएँ, तो वे आधुनिक विपणन प्रणाली का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।

तीसरा सुझाव भंडारण एवं कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का विस्तार करना है। कृषि उत्पादों की बड़ी मात्रा खराब हो जाती है, क्योंकि पर्याप्त भंडारण सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं। यदि आधुनिक गोदाम और शीत भंडारण इकाइयों का विस्तार किया जाए, तो किसानों को अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उचित मूल्य मिलने पर बेचने का अवसर मिलेगा।

चौथा सुझाव निजी निवेश को प्रोत्साहन देना है। यदि कृषि विपणन क्षेत्र में निजी कंपनियों और निवेशकों की भागीदारी बढ़ाई जाए, तो इससे नई तकनीक, बेहतर अवसंरचना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इससे मण्डी प्रणाली अधिक आधुनिक और कुशल बन सकती है।

पाँचवाँ महत्वपूर्ण सुझाव मूल्य स्थिरीकरण तंत्र (price stabilization mechanism) विकसित करना है। कृषि उत्पादों के दाम अक्सर अस्थिर रहते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। यदि एक प्रभावी मूल्य स्थिरीकरण नीति लागू की जाए, तो किसानों को उनके उत्पादों के लिए स्थिर और न्यायसंगत मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

## निष्कर्ष (CONCLUSION)

समग्र रूप से देखा जाए तो 2008 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद ने कृषि विपणन प्रणाली के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अवधि में मण्डी परिषद ने न केवल बाजार संरचना को संगठित किया है, बल्कि किसानों को उचित मूल्य, पारदर्शी व्यापार प्रणाली और बेहतर विपणन सुविधाएँ भी प्रदान की हैं।

मण्डी परिषद के प्रयासों से कृषि विपणन प्रणाली अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बनी है। नीलामी प्रणाली, लाइसेंस व्यवस्था, आधारभूत संरचना विकास और ई-नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने किसानों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और बाजार तक उनकी पहुँच को आसान बनाने में सहायता मिली है।

हालांकि, इस प्रगति के बावजूद अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता की कमी और बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता जैसी चुनौतियाँ प्रणाली की पूर्ण क्षमता को सीमित करती हैं। इन समस्याओं का समाधान किए बिना कृषि विपणन प्रणाली को पूरी तरह सशक्त बनाना संभव नहीं है।

## संदर्भ (REFERENCES)

[1] Government of Uttar Pradesh. (1964). *Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964*. Retrieved from

[2] Government of Uttar Pradesh. (2019). *Uttar Pradesh Agricultural Export Policy 2019*. Retrieved from

[3] Pinwas IAS. (2023). *Agricultural Schemes of Uttar Pradesh*. Retrieved from

[4] Asian Development Bank. (2022). *Improving Agricultural Value Chains in Uttar Pradesh*. Retrieved from

[5] MOSPI. (2019). *Situation Assessment Survey of Agricultural Households*. Retrieved from

[6] Wikipedia. (2025). *Economy of Uttar Pradesh*. Retrieved from

[7] Times of India. (2026). *UP becomes leading milk producing state*. Retrieved from